

फर्द अहकाम



(नियम 15)

2024/405

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़
विनोद बनाम श्रवण कुमार आदि

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

प्रकरण संख्या 120 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
10.07.2024	<p>प्रार्थी विनोद की तरफ से वकील श्री बलवन्तराम छिम्पा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। रीडर की जांच रिपोर्ट के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र एवं सलग्न दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि चक 2 एसएम के प.नं. 168/389(7) कि.नं. 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 19, प.नं. 169/388(3) कि.नं. 13 ता 19, 20/2, 21/2, 22 ता 25 की कुल 5.010 है। भूमि की अप्रार्थीगण रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें व रहन बैय करने से निषेद्ध रहें। यह निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी, अप्रार्थीगण को साधारण डाक के साथ-साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 12.08.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर </p>	
19.7.2024	<p>वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र सिवाल पेवरी पेश करने पर प्रभावकी को पेवरी में जिया गयानी वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि वह प्रार्थना-पत्र 212 अस्थाई निषेधाज्ञा आगे नहीं चलाना चाहते हैं। मौजूदा स्थिति में खारीज करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना-पत्र 212 अस्थाई निषेधाज्ञा मौजूदा स्थिति में खारीज किया जाना है। प्रभावकी नम्बर से अम की जांच काउन्सिली वकील प्रार्थी दाखिल पत्र कर रहे</p> <p style="text-align: right;">  </p>	



सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर